C.N.R.No–UPLL100018772021

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, ललितपुर।

दाण्डिक वाद संख्या- 1589/2021

श्रीमती सुरभि साहू बनाम सचिन साहू आदि

थाना- महरौनी, जिला ललितपुर।

दिनांक-16.05.2024

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व तिथि पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी बहस पर सुना जा चुका है। आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त पत्रावली में माननीय सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा फौजदारी निगरानी संख्या 58/2023 द्वारा दिनांक 15.04.2023 को आदेश पारित कर, रिवीजन को स्वीकृत कर, दिनांक 14.01.2022 को न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश को अपास्त करते हुये रिवीजन में पारित ऑब्जर्वेशन के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली वापस की गयी है।

परिवादिनी श्रीमती सुरभि साहू ने अपने परिवाद कथानक का समर्थन करते हुये कथन किया है कि "परिवादिनी की शादी दिनांक 18-01-2020 को सचिन तनय लखनलाल साहू, निवासी ग्राम चंदेरा, थाना चंदेरा, जिला टीकमगढ, म०प्र० के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न् हुयी थी। परिवादिनी की शादी में परिवादिनी के माता-पिता द्वारा दहेज में 5,00,000/-रु० (पांच लाख रुपये) नगद, एक मोटर साइकिल, टीवी, कूलर वाशिंग मशीन, बैड, फ्रीज व घर-गृहस्थी सारा सामान एवं एक तौला सोने की चैन, आधा तौला की सोने की अँगूठी आदि, कुल मिलाकर 8,00,000/-रु० की शादी की थी, लेकिन शादी में दिये गये दान दहेज से परिवादिनी के ससुरालीजन पति सचिन साहू , ससुर लखनलाल तनय अनंदीलाल, सास श्रीमती ऊषा पत्नी लखनलाल, जेठ राहुल तनय लखनलाल, जिठानी श्रीमती नीलम पत्नी राहुल, ननद श्रीमती रूपाली पुत्री लखनलाल, ननद रीना पुत्री लखनलाल समस्त निवासीगण ग्राम चंदेरा थाना चंदेरा, जिला टीकमगढ, म०प्र० एवं ममिया ससुर सुरेश कुमार तनय हीरालाल उर्फ कुन्नाई व महेश प्रसाद तनय हीरालाल उर्फ कुन्नाई, निवासीगण ग्राम मोहनगढ़, थाना मोहनगढ, जिला टीकमगढ, म० प्र०, नंदेऊ धीरज तनय भगवत प्रसाद निवासी ग्राम बरूआसागर, थाना बरुआसागर जिला झाँसी, उपरोक्त दहेज से संतुष्ट नहीं हुये और अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपया की मांग करने लगे और उक्त लोग दहेज की मांग को लेकर परिवादिनी को शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगे और परिवादिनी की मारपीट करने लगे एवं खाना-कपड़ा आदि से परेशान करने लगे। उक्त दहेज बाबत ससुरालीजन उपरोक्त ने परिवादिनी को गर्भावस्था में ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। दिनांक 17-11-2021 को समय करीब 02 बजे दिन जब परिवादिनी अपने पिता के घर पर रोजमर्का का कार्य कर रही थी कि उक्त सभी ससुरालीजन आये और घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुये कहने लगे कि तुम लोगों ने हमारी पुलिस में शिकायत की है एक तो तुमने हम लोगों की दहेज की मांग पूरी नहीं की है और फिर से दो लाख रुपये की मांग करने लगे। तब परिवादिनी ने अपने पिता की गरीबी का हवाला दिया और कहा कि मेरे पिता अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपया देने में असमर्थ है तो परिवादिनी के पति सचिन ने परिवादिनी की लात-घूंसों से मारपीट की और अन्य ससुरालीजन हाथों में लिये कोरे स्टाम्पों व कागजों पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाने लगे। जब परिवादिनी ने हस्ताक्षर करने से मना किया तो सभी ससुरालीजन ने परिवादिनी व उसके परिजनों की गाली-गलौच करने लगे कि परिवादिनी के चिल्लाने व शोर होने पर परिवादिनी के पिता महेश कुमार तनय नंदराम, चाचा मनीराम तनय खरोटेलाल, रूपेश कुमार तनय रामगोपाल, निवासी ग्राम सैदपुर, थाना महरौनी,

Digitally signed by NARESH KUMAR DIWAKARA
Date: 2024.06.03 09:58:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिला ललितपुर मौके पर आ गये, जिन्होंने घटना देखी व उपरोक्त परिवादिनी के ससुरालीजन को समझाया, तो ससुरालीजन उपरोक्त ने दहेज में दो लाख रुपया की मांग जल्द-से-जल्द पूरी करने की धमकी दी व सचिन की दूसरी शादी करने की धमकी देते हुये मौके से चले गये। परिवादिनी ने घटना की सूचना थाना महरौनी में दी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिवादिनी ने पुलिस अधीक्षक महोदय, ललितपुर को रजिस्ट्री के द्वारा प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी।"

परिवादिनी द्वारा परिवाद कथानक का समर्थन करते हुए अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में कथन किया है कि "मेरी शादी दिनांक 18 जनवरी 2020 को चंदेरा में, सचिन साहू के साथ हुयी थी। शादी के समय दहेज दिया था। मुझे पता है कि दहेज देना अपराध है। शादी के बाद ससुराल के सास-ससुर, जेठ जिठानी मेरे पति आदि मुझे मारते है और दहेज की मांग करते है। मुझसे 2,00,000/- (दो लाख रुपये) सचिन ने मांगे थे। ननद भी फोन करके पैसे मांगती हैं। मुझे धमकी देते है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो इसकी शादी कर लेगें और डराते भी है।"

परिवादिनी द्वारा स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. के समर्थन में साक्षीगण महेश कुमार एवं श्रीमती सावित्री साहू का बयान अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची से 4 क एक किता एस.पी. महोदय को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, एक किता डाक रसीद की मूल प्रति, शादी के कार्ड की प्रति, ट्रेक कन्साईमेंट की प्रतियाँ आधार कार्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी द्वारा अपने परिवादपत्र में विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा परिवादिनी से दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने, उक्त मांग के बाबत परिवादिनी को शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने, परेशान करने, गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने आदि का कथन किया है। अपने अभिकथनों के समर्थन में परिवादिनी द्वारा साक्षीगण महेश कुमार एवं श्रीमती सावित्री साहू को धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा भी परिवाद कथानक का समर्थन किया गया है।

परिवाद पत्र, परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं., साक्षीगण महेश कुमार एवं श्रीमती सावित्री साहू के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण सचिन साहू, लखनलाल एवं श्रीमती ऊषा का मामला अन्तर्गत धारा 498A, 323, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति. अधिनियम, प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है। विपक्षीगण सचिन साहू, लखनलाल एवं श्रीमती ऊषा धारा उपर्युक्त में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण सचिन साहू, लखनलाल एवं श्रीमती ऊषा को अन्तर्गत धारा 498A, 323, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति. अधिनियम, के अपराध के विचारण हेतु जरिये समन दिनांक- 25-06-2024 के लिये तलब किया जाता है। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करें, गवाहान सूची दाखिल करें। वाद पैरवी अभियुक्तगण को नियमानुसार समन जारी हो।

दिनांक 16.05.2024

(नरेश कुमार दिवाकर)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महरौनी, ललितपुर।